भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2105

दिनांक 10 दिसम्बर, 2021 को उत्तर के लिए

कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चे

2105. कुमारी अगाथा के. संगमा:
श्री केसिनेनी श्रीनिवास:
श्री रमेश बिधूड़ी:
श्रीमती पूनमबेन माडम:
श्री जयदेव गल्ला:
श्री अर्जुन लाल मीणा:
श्री दुष्यंत सिंह:
श्री राम मोहन नायडू किंजरापु:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोविड-19 के कारण माता या पिता अथवा दोनों की मृत्यु के परिणामस्वरूप अनाथ हुए बच्चों की संख्या का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनकी पहचान करने के लिए क्या मानदंड/तंत्र अपनाया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मानव तस्करी के खतरे में आए ऐसे बच्चों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार संस्थागत सहायता सहित इन बच्चों के कल्याण और संरक्षण के लिए कोई योजना/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है और यदि हां, तो इस संबंध में खर्च की गई धनराशि और इससे लाभान्वित होने वाले बच्चों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार ने सिविल सोसायटी द्वारा इन बच्चों को गोद लेने को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक कितने बच्चों को गोद लिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) 2015 से 2021 की अवधि के दौरान गोद लिए गए बच्चों और दत्तक माता-पिता द्वारा लौटाए गए बच्चों की संख्या के संबंध में आंकड़े क्या हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (ग) : माननीय प्रधानमंत्री ने ऐसे बच्चों की सहायता के लिए पीएम केयर्स बाल स्कीम की घोषणा की है, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता-पिता में से दोनों या उत्तरजीवी माता-पिता या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता को खो दिया है। यह स्कीम ऑनलाइन पोर्टल अर्थात pmcaresforchildren.in के माध्यम से सुगम्य है। संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा इस तरह के बच्चों के आवेदन पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं। 08 दिसम्बर, 2021 तक की स्थिति के अनुसार पोर्टल पर 5714 शिकायतें अपलोड की गई हैं, जिनमें से 3258 आवेदनों को जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा समुचित प्रक्रिया के बाद मंजूरी प्रदान की गई है और 542 आवेदन अनुमोदन के लिए लंबित हैं।

(घ) : मंत्रालय बाल संरक्षण सेवा(सीपीएस) नामक एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम चला रहा है जिसके तहत देखरेख के जरूरतमंद तथा कठिन परिस्थितियों के शिकार बच्चों को सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सहायता दी जाती है। सीपीएस स्कीम के तहत स्थापित बाल देखरेख

संस्थाएं(सीसीआई) अन्य बातों के साथ आयु के अनुरूप शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखरेख, काउंसलिंग आदि तक पहुंच के लिए सहायता प्रदान करती हैं। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों की गैर-संस्थानिक देखरेख के लिए प्रति बच्चा प्रतिमाह 2000/- रुपये की छात्रवृत्ति उपलब्ध है तथा बाल देखरेख संस्था में रहने वाले बच्चों के लिए 2160/-रुपये प्रति बच्चा प्रतिमाह के अनुरक्षण अनुदान का प्रावधान किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान स्कीम के तहत कुल 2,30,063 लाभार्थियों के लिए 2189.76 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

(ड.) : किशोर न्याय(बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा दत्तकग्रहण विनियम, 2017 अनाथ, परित्यक्त तथा अभ्यर्पित बच्चों के पुनर्वास के लिए एक रूपरेखा स्थापित करते हैं जिसमें ऐसे मामले शामिल हैं, जहां बच्चों ने कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता-पिता में से दोनों को खो दिया है। बाल कल्याण समिति तथा जिला बाल संरक्षण यूनिट स्थापित की गई हैं, जिन्हें दत्तकग्रहण एवं पुनर्वास के लिए ऐसे बच्चों के नियोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा, केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण(कारा) और राज्य दत्तकग्रहण संसाधन एजेंसी(सारा) को भी जेजे अधिनियम, 2015 के तहत बच्चों के दत्तकग्रहण से संबंधित मामलों में सुगमता प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है।

(च) : जैसा कि केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण(कारा) द्वारा सूचित किया गया है, 2018-19 से 2020-21 तक की अवधि के लिए बाल दत्तकग्रहण संसाधन सूचना एवं मार्गदर्शन प्रणाली(केयरिंग्स) के माध्यम से 11331 दत्तकग्रहण की सूचना प्रदान की गई है। पोर्टल पर पंजीकृत अन्य प्रतीक्षारत अभिभावकों द्वारा बच्चों के दत्तकग्रहण को संभव बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं।

*****